

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0
राजस्व अपील संख्या 38/2022

अपीलान्ट

बनाम

रेस्पोडेन्ट

कैलाशराम पुत्र रामाकिशन जाति नाई निवासी
सुरपालिया तहसील डेह जिला नागौर।

नायब तहसीलदार डेह जिला नागौर।

उपस्थिति :-

1. श्री शोलेन्द्र सिंह कालवी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 15.12.2022

{1}-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेह द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 55/2022 सरकार बनाम कैलाशराम में निर्णय दिनांक 25.07.2022 के तहत मौजा सुरपालिया की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 23.08.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 25.08.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में निर्णय दिनांक 25.07.2022 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)- आदेश जैर अपील विरुद्ध कानून तथा हालात मामला के है जो कि काबिल निरस्त करने के है, क्योंकि आदेश बिना सुनवाई का अवसर दिये बाले बाले ही पारित किया गया है।

{2}(II)- अपीलांट को नोटिस दिनांक 25.07.22 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का दिया गया था। जिस पर दिनांक 25.07.22 को अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी हुआ था तथा जबानी तौर पर अपने खेत का नाप करने तथा किसी भी प्रकार का अतिक्रमण उसका नहीं होने का निवेदन किया था। जिस पर तहसील कार्यालय में उसे कहा कि नाप के लिए नागौर से नक्शा मोमी लाना पड़ेगा तथा अभी मानसून सीजन चल रही है, इसलिए नाप नहीं किया जा सकता इसलिए नक्शा वगैरह लेकर बाद में नाप करवा लेना इस पर अपीलांट ने कहा कि उसे जवाब के लिए आगे पेशी दे दो तो उसके हस्ताक्षर खाली आदेश तालिका पर करवा लिये तथा कहा कि नायब साहब तो चार दिन बाद रिटायर हो रहे है इसलिए नये तहसीलदार के आने के बाद पेशी की सूचना आपको पटवारी हल्का के मार्फत कर दी जायेगी तब उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर देना। इस पर अपीलांट वापस आ गया तथा अपीलांट इसी विश्वास में था कि पटवारी हल्का उसे तारीख पेशी बतायेंगे तो वह अपना जवाब प्रस्तुत कर देगा। लेकिन इसके बाद उसी दिन अधीनस्थ न्यायालय ने यह आर्डरशीट में लिख दिया कि गैर सायल उपस्थित तथा उसने अपना अतिक्रमण स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमण करना सरासर गलत लिखा है। अपीलांट की ओर से ऐसी कोई स्वीकृति नहीं दी गई न उसने लिखित में कोई प्रार्थना पत्र मांगा न उसे बताया कि आज ही निर्णय पत्रावली का किया जा रहा है, तथा उसे बेदखल करने का आदेश किया जायेगा। अपीलांट तो मानसून सीजन के बाद नाप करवा कर जवाब पेश करने मुगालते में था। इस प्रकार आदेश ईकतरफा गलत तथा मनमाना है जो काबिल निरस्त करने के है।

{2}(III)-अपीलांट का संवत् 2079 में तारबंदी करके अतिक्रमण करने का नोटिस दिया जाकर उसे बिना कोई व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिये ही बाले बाले ही पारित कर दिया गया है। अपीलांट की तारबंदी तो बरसों पुरानी है, जो कि उसकी माठ वाले स्थान पर उसके पूर्वजो के समय से सेटलमेन्ट के पूर्व से है तथा रास्ता खसरा नम्बर 412 रास्ता का अस्तित्व विगत 70 वर्षों से अधिक समय से कही पर भी नहीं

है, क्योंकि लगभग 50 वर्षों से भी अधिक समय पहले सड़क का निर्माण हो गया जो उस समय चलने वाले रास्ते वाले स्थान के पर किया गया था तथा वह स्थान भी अपीलांट के खेत में से ही अन्य स्थान से है। जहा रास्ता रेकॉर्ड में दर्ज नहीं है लेकिन पिढीयों से चलता आया है जो भूमि न तो अधिग्रहित विधिनुसार की गई न इस भूमि के ऐवज में अपीलांट तथा अन्य खातेदारों को कोई मुआवजा ही दिया गया है, लेकिन इस सड़क के निर्माण के बाद व पहले इस रास्ता खसरा 412 का अस्तित्व कभी नहीं रहा है, तथा मौके पर रास्ता कहीं पर भी नक्शे में दर्शाये स्थान पर नहीं है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने से अपीलांट यह सम्पूर्ण तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया जिससे आदेश ईकतरफा होने से काबिल निरस्त करने के है।

{2}(IV)– अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्तर पर कोई जांच मामला में नहीं की न कोई सीमांकन रिपोर्ट पत्रावली में ली न स्वयं मौका मुआयना किया न अपने स्तर पर नाप चौप करके रास्ता का सही स्थान चिन्हित किया, न अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले पटवारी हल्का के बयान लिये न अपीलांट को कोई जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर दिया न इस बात पर कोई गैर किया कि तारबंदी तो बरसों पुरानी है, तथा वह तो अपीलांट की खातेदारी भूमि पर है। बिना नाप चौक के ही तारबंदी को रास्ता की भूमि पर होना मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी तथा वाकियाती भूल की है। जिससे आदेश निरस्त होने योग्य है।

{2}(V)– प्रकरण में सेटलमेन्ट के समय रास्ता का स्थान बिना अधिकार के बदल देने तथा रास्ता मौके पर चलने वाले रास्ते के स्थान पर रास्ता दर्ज नहीं करने के कारण रास्ता का स्थान अपीलांट की खातेदारी वाले स्थान पर आ गया है जो कि गलत ऐन्ट्री सेटलमेन्ट विभाग ने की है। इस संबंध में अपीलांट ने नक्शे वगैरह निकलवाये तथा अपने स्तर पर साक्ष्य एकत्रित इस उद्देश्य से किया कि जवाब आगे पेश पर देंगे तो यह तमाम सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर देंगे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कोई अवसर ही साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत करने के लिए नहीं दिया तथा ईकतरफा निर्णय पारित कर दिया जिससे भी आदेश अपास्त होने योग्य है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा सुरपालिया में स्थित गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके सुरपालिया की राजकीय भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर